

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 59/2017

बचनवान

धर्मराज पुत्र प्रभूलाल जाति—मीणा निवासी—बामनहेडा  
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :—1. श्री रघुवीरप्रसाद मीणा, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)

**निर्णय दिनांक— 11.10.2018**



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 14.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बामनहेडा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 40/-रूपये अर्थादण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विवेचन से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पत्रावली में सुनवाई व जवाबदेहों का अक्षर नहीं दिया है न ही कभी कभी आराजी पटवारी की झूठी व मनगंढत रिपोर्ट के आधार पर सजा की है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है क्योंकि झूठी हुई है। बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय अधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील को जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.3.2014 निरस्त फरमाया जायें।

इस पर प्रत्येक पक्ष को सुनवाई किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय को अमिलेख तलब किया गया। अमिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहों का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। बकाया राशि जमा करा दी है।

**सत्यमेव जयते**

**Web Copy - Not Official**

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1515/12 निर्णय दिनांक 23.11.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांत का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांत के प्रति गहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शक्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 546/14 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांत विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दे। तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग करेगा। आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेगा तथा तहसीलदार, बारां को सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.3.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ करेगा। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.3.2014 निरस्त रहेगा।

सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2013 को नये इजलास लिखाया जाकर



(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

